

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्री कै०आर० खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं० -

तारीख दायर

तारीख फैसला

398 / 2016 / वाद पत्र

18.10.2016

16.05.2017

उनवान

अंजना पत्नि दीपक कुमार सेठी (महाजन) नि० कोठियाँ तह० फूलियाकलां
- वादिया

बनाम

1-3 रघुनाथ, महादेव, रामधन पिता छोगा जाट नि० दौलतपुरा

4- तहसीलदार, फूलियाकलां

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर०टी०ए०

उपस्थित :- श्री विष्णुदत्त शर्मा : अधिवक्ता वादिया

निर्णय

वादिया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा०टी०ए० विरुद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है ग्राम अरनिया चौहान पटवार हल्का ईटड़िया तहसील फूलियाकलां के खाता संख्या 134 आ०न० 586 रकबा 3.87 है० कुल किता 01 रकबा 3.87 है० मे खातेदारान प्रतिवादीगण नं० 1, 2 का 2/5 हिस्सा प्रतिवादी नं० 3 का 6/35 हिस्सा व वादिया का 3/7 हिस्सा निहित है। वादिया अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है लेकिन वादिया खातेदारी आराजी संयुक्त दर्ज होने के कारण अपने हक हिस्से की आराजीयात मे अच्छी लागत लगाकर अधिक विकसित नही कर पा रही है। इसलिये वादिया अपने हिस्से की आराजीयात का बंटवाड़ा करना चाहती है अतः वादिया के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरुद्ध बंटवाड़ा आराजीयात की डिक्री इस अनुसार जारी फरमाई जावे कि वाद के पेरा नं० 1 मे वर्णित कुलिया आराजीयात मे वादिया के 3/7 हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर डिक्री सादिर फरमाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 15.12.2016 को प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 3 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण जवाब दावा पेरोकार सरकार के नियत किया गया। दिनांक 06.04.2017 को पेरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर बताया कि प्रकरण मे राजकीय हित प्रतीत नही होता। प्रकरण साक्ष्य वादिया के नियत किया गया। दिनांक 27.4.2017 वादिया का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी०डब्ल्यू० - 1 है। प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार - 2017 अटल सेवा केन्द्र ईटड़िया पर रखा गया। अभिभाषक वादिया को मौके पर सुना गया जिन्होने अपनी बहस मे बताया कि वादपत्र आराजीयात मे उसका 3/7 हक हिस्सा निहित है इसी अनुसार मौके

अनुसार वाद पत्र की पुष्टि होती है। अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम अरनिया चौहान पटवार हल्का ईटड़िया तहसील फूलियाकलां मे स्थित खाता संख्या 134 आ0न0 586 रकबा 3.87 है0 कुल किता 01 रकबा 3.87 है0 मे से वादिया का 3/7 हक हिस्सा अनुसार मौके पर मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर बंटवाड़ा कर नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार फूलियाकलां को दिये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगे। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 16.05.2017 को केम्प ईटड़िया पर सुनाया गया।



a
(के0आर0 खौड़)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा